कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हनुमानगढ

कार्यालय –आदेश

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश कमांक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–I/12102/प्रयोगशाला सहायक ग्रेड III /सी.भ/2016 दिनांक 12.6.2018 की पालना मे राजस्थान अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक भर्ती वर्ष 2016 के पद पर चयनित निम्नांकित अभ्यार्थियों को इस कार्यालय मे राज्य सरकार के पत्रांक प.17 (8) शिक्षा–2/2015 दिनांक 19.12.2017 अनुसार दिनांक 12.02.2018 को आयोजित परामर्श शिविर के आधार पर तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक ग्रेड III के पद पर वेतनमान राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 के शडुल 4 के वर्णित प्रावधानो के अन्तर्गत पे मैट्रिक लेवल एल–8 मे दो वर्ष के प्रोबेशन ट्रेनी (परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के लिए नियम मानदेय 18500/–रूपये प्रतिमाह पर नियुक्त किया जाता है । संबंधित संस्था प्रधान इन्हे कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नाकिंत बिन्दुओं की पूर्ति पूर्ण करवाने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करवावें–

1 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट व सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा । पूर्व मे राजकीय सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नही होगा ।

2 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 8.4.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.6.2002 को अथवा उसके बाद उत्पन्न संतानो के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नही होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र रू0 50/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे ।

3 राज्य से बाहर की संस्थायों से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है ।अतः जिन अभ्यर्थियों की योग्यता राज्य के बाहर की संस्थायों से अर्जित है उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थायों से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है । अतः कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से रू0 50/ के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व मे प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नही पाई गई तो उन्हे प्रदत यह नियुक्ति निरस्त करने व उनके विरूद्व कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा ।ऐसी स्थिति मे यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

4 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल आवेदन मे लगी फोटो से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र है जिसका आवेदन फार्म पर फोटो चस्पा है ।

5 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र प्राप्त करे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनांए एवं दस्तावेज सही है इनके त्रुटीपूर्ण जाली अथवा कुटरचित पाए जाने दशा मे उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा ।

6 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प.7 (3)कार्मिक/क–2/06/पार्ट दिनांक 4.10.2013 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचनबृद्वता निर्धरित प्रपत्र मे प्राप्त की जावे ।

7 प्रोबेशन अवधि मे इन्हे स्थिर मानदेय देय होगा । अन्य भत्ते देय नही होगे । पूर्व मे सेवारत कार्मिक अपने पूर्व पद के वेतन का विकल्प दे सकतें है ।

8 एक कलैन्डर वर्ष मे 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण वर्ष न होने की स्थिति मे आनुपातिक गणना करे । अन्य किसी प्रकार के अवकाश देय नही होगे ।प्रसूति व पितृत्व अवकाश नियमानुसार देय होगें ।

9 स्थिर मानदेय से नियमानुसार एनपीएस की कटौती की जावे ।

10 इन अभ्यर्थियों को दिनांक **30.06.2018** तक अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा कार्यग्रहण निर्धारित दिनांक तक नही करने पर यह आदेश स्वतःही निरस्त समझे जावेगे ।

11 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेजों की जांच (शैक्षिक प्रशैक्षिक जाति प्रमाण पत्र खेल प्रमाण पत्र आदि)मूल प्रमाण पत्रों से कर लेवे । मिलान मे भिन्न स्थिति पाए जाने की दशा मे पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण इस कार्यालय को लौटावें ।

Scanned by CamScanner

12 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित एस.बी. सीविल याचिका संख्या 8555/2017, 11523/2017, 10421/2017 एवं विभिन्न याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

क्र. स	मेरिट नंम्बर	नाम आशार्थी मय पिता का नाम स्थायी पता	जन्म तिथि	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	3058	नेमी चन्द मीना/रधुनाथ मीना गॉव नांगल सोहन पो0 कानेठी तह रैंगी जिला अलवर,राजस्थन	25-05-1995	ST	STM	राउमावि छानीबडी,भादरा
2	3064	रंगलाल मीणा/बाबुलाल मीणा ग्राम सांवलियावाला पोस्ट अणतपुरा तहःबस्सी जिला जयपुर,राजस्थान	15-12-1994	ST	STM	राउमावि उत्तरादाबास ,भादरा
3	3087	रविन्द्र कुमार मीना/खेमराज मीणा गॉव पो0 लूहारी कँला तह जहाजपुर जिला भीलवाडा,राजस्थान	20-12-1992	ST	STM	राउमावि मिर्जेवालीमेर ,टिब्बी

(हरलाल सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक हनुमानगढ

कंमाक–जिशिअ/मा/हनु/संस्था II/2017/नियुक्ति/प्रयो.सहा.IIIग्रेड/ दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत –

1 श्रीमान शासन उप सचिव प्रथम शिक्षा (ग्रुप–2)विभाग राज0 जयपुर
2 श्रीमान शासन सचिव कार्मिक (क–2)विभाग राज0 जयपुर
3 श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राज0 बीकानेर
4 श्रीमान उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर मंडल बीकानेर
5 जिंला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा हनुमानगढ।
6 संबंधित ब्लॉक प्रा.शि. अधिकारी ....
7 संबंधित संस्था प्रधान..
8 संबंधित अभ्यर्थी..
9 कार्यालय प्रति

जिला शिक्षा अधिकारी
19.6.2018
माध्यमिक हनुमानगढ

Scanned by CamScanner